रजिस्ट्री संख्या डी—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 12, 1985 (आश्विन 20, 1907)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 21, 1985 (ASVINA 20, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	761
भाग I—खण्ड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1267
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	11
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियां आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1413
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	34277
भाग III—खंड 2—पैटन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	717
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	53
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1829
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	171
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	761
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1267
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	11
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1413
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	34277
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	717
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	53
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1829
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	171
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

* Folio Nos. not receive

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 1985

संकल्प

सं० एम०-13043/5/83-आर०डी०-ए०एस०—इस कार्यालय के दिनांक 25-3-1985 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रमांक में ग्रामीण विकास और गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी समन्वित तरीके से योजना बनाई जाए और उन्हें प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए एक उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे की सिफारिश करने के लिए गठित उच्च उत्तरीय समिति का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1985 तक बढ़ाया जाता है।

अन्य शर्तें वही होंगी जो दिनांक 25-3-1985 के समसंख्यक संकल्प में दी गई हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति संबंधित सभी को भेजी जाए और इसे सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० सी० अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन)

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 सितम्बर 1985

संकल्प

सं० 2-1/85-हिं०नी०—भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय के 18 फरवरी, 1982 के संकल्प संख्या 2-33/81-हिं०नी० को अधिक्रान्त करते हुए, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया है।

उक्त समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1. कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री	अध्यक्ष
2. ग्रामीण विकास राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. श्री मनफूल सिंह, संसद सदस्य	सदस्य
4. श्री रामनगीना मिश्रा, संसद सदस्य	सदस्य
5. श्री आनन्द प्रकाश गौतम, संसद सदस्य	सदस्य
6. श्री पृथ्वी माझी, संसद सदस्य	सदस्य
7. श्री चिन्तामणि जैना, संसद सदस्य	सदस्य
8. श्री जमीलुर्रहमान, संसद सदस्य	सदस्य
9. श्री अक्षय कुमार जैन	सदस्य
10. श्री उदय चन्द अग्रवाल	सदस्य
11. श्री काशीनाथ उपाध्याय "भ्रमर"	सदस्य
12. डा० कैलाश चन्द्र भाटिया	सदस्य
13. श्री जय प्रकाश भारती	सदस्य
14. श्री जसदेव सिंह	सदस्य
15. श्री दुर्गाप्रसाद चौधरी	सदस्य
16. डा० एन० रमण नायर	सदस्य
17. श्री मुकुल चन्द पांडे	सदस्य
18. डा० राम प्रसाद मिश्र	सदस्य
19. श्री विजय शंकर मल्ल	सदस्य
20. डा० श्याम सिंह शशि	सदस्य
21. श्री सुधाकर पांडेय	सदस्य
22. डा० सरगु कृष्ण मूर्ति	सदस्य
23. श्री हिमांशु जोशी	सदस्य
24. सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग	सदस्य
25. सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	सदस्य
26. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
27. सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
28. संयुक्त सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
29. संयुक्त सचिव (वित्त), कृषि और सहकारिता विभाग	सदस्य
30. संयुक्त सचिव (प्रशासन), कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	सदस्य
31. सयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
32 प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम	सदस्य
33. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	सदस्य
34. प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाईजर कोआपरेटिव लि०, नई दिल्ली	सदस्य
35. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नई दिल्ली	सदस्य
36. संयुक्त सचिव (प्रशासन), कृषि और सहकारिता विभाग	सदस्य-सचिव

समिति का कार्यक्षेत्र

इस समिति का काम राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सरकारी काम-काज के लिए हिन्दी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन और कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के आगामी प्रयोग के बारे में सलाह देना है।

कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्य-काल सामान्यतः समिति के गठन की तिथि से तीन वर्ष तक होगा, बशर्ते कि :

(क) जो सदस्य संसद सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य तब तक सदस्य बने रहेंगे, जब तक कि वे उन पदों पर आरूढ़ रहें, जिन पर होने के कारण वे समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्याग-पत्र, मृत्यु आदि के कारण कोई रिक्ति होती है तो इस रिक्ति पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि तक के लिये ही सदस्य रहेगा।

सामान्य

समिति अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार अपनी बैठकों में उपस्थित होने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति इन सभी को प्रेषित की जाए—प्रधानमंत्री के कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद कार्य विभाग, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी (कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय), कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालय तथा उपक्रम आदि और भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

स० स० रिज़वी, संयुक्त सचिव

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 1985

आदेश

सं० डब्ल्यू० एम०-4(7)/84—भारत सरकार ने देश में विधिक माप-विज्ञान के आधुनिकीकरण तथा विकास के बारे में नीति संबंधी सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिये एक परामर्शदात्री समिति गठित करने का निर्णय किया है। इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

1. सचिव, नागरिक पूर्ति विभाग	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, बाट तथा माप के प्रभारी	सदस्य
3. श्री एम० के० मल्ल	सदस्य
4. डा० के० चन्द्रा, उप निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला	सदस्य
5. श्री डी० अजीत सिंह, उप महानिदेशक भारतीय मानक संस्था	सदस्य
6. प्रधानाचार्य, भारतीय विधिक माप-विज्ञान संस्था, रांची	सदस्य
7. उप निदेशक, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, भुवनेश्वर,	सदस्य
8. उप निदेशक, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, अहमदाबाद	सदस्य सदस्य
9. उप निदेशक, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला बंगलौर	सदस्य
10. नियंत्रक, बाट तथा माप, गुजरात सरकार	सदस्य
11. सचिव कृषि विभाग, असम सरकार	सदस्य
12. प्रधान सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा विद्युत विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
13. संयुक्त कृषि निदेशक तथा बाट एवं माप नियंत्रक, बिहार सरकार	सदस्य
14. उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़	सदस्य
15. श्री पी० आर० चन्द्रन, निदेशक, औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली	
16. डा० आर० सी० कुम्बले, निदेशक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
17. डा० आर पी० बधवा, सचिव, इलक्ट्रानिकी आयोग तथा निदेशक (एस० टी० क्यू० सी०)	सदस्य
18. श्री बी० गुरुड़ाचार, औद्योगिक परामर्शदाता, महानिदेशक, तकनीकी विकास का कार्यालय	सदस्य
19. निदेशक, बाट तथा माप, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

II. कार्यकाल

आरम्भ में इस परामर्शदात्री समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये होगा, बशर्ते कि:

(क) समिति के पदेन सदस्य तब तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उस पद पर रहते है, जिसकी बदौलत वे समिति के सदस्य के रूप में नामित किये गये है, तथा

(ख) किसी सदस्य के त्याग-पत्र देने, उसकी मृत्यु होने आदि से यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त किया गया दूसरा सदस्य शेष अवधि के लिये उस पद पर आसीन रहेगा।

III. सामान्य

इस परामर्शदात्री समिति की छह महीनों में कम से कम एक बैठक होगी तथा यह सरकार को देश में विधिक माप-विज्ञान (बाट तथा माप) के आधुनिकीकरण तथा विकास से सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर सलाह देगी।

यह परामर्शदात्री समिति अन्तर्राष्ट्रीय विधिक माप-विज्ञान संगठन (ओ० आई० एम० एल०) द्वारा संस्तुत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सिफारिशों की तथा भारतीय मानक संस्था की "सेक्शनल" समिति की सिफारिशों की, तकनीकी विनियमों के रूप में अंगीकार करने के लिये, जांच करेगी। यह समिति ओ० आई० एम० एल० के तकनीकी कार्य में भाग लेने वाले गुट निरपेक्ष आन्दोलन से जुड़े देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में भी सरकार को परामर्श देगी।

बी० के० सिन्हा, संयुक्त सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 1985

संकल्प

सं० ई–11015/4/84–हिन्दी––निर्माण और आवास मंत्रालय के दिनांक 11 जुलाई, 1985 और 26 अगस्त, 1985 के समान संख्यक संकल्प के अनुक्रम में भारत सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के निम्नलिखित सदस्यों को निर्माण और आवास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में नामित करने का निर्णय किया है :—

प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद,
नई दिल्ली–110023
एक्स बाई–68, सरोजिनी नगर,

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संघीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० एम० गुप्ता, उप सचिव
तथा सदस्य-सचिव, हिन्दी सलाहकार समिति

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 8th August 1985

RESOLUTION

No. M-13043|5|83-RD-AS.—In continuation of this Office Resolution of even No. dated 25-3-1985 the tenure of the High Level Committee set up to review the existing administrative arrangements for rural development and poverty alleviation programme and to recommend appropriate structural mechanisms to ensure that they are planned in an integrated manner and effectively implemented, is extended upto 31st December, 1985.

The other terms and conditions indicated in the Resolution of even No. dated 25-3-1985 would be the same.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all concerned and that it may be published in the Gazette of India for general information.

K. C. AGARWAL, Director (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPN.)

New Delhi, the 18th September 1985

RESOLUTION

No. 2-1|85-H. N.—In supersession of the Ministry of Agriculture Resolution No. 2-33|81-H.N., dated 18th February, 1982, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Agriculture and Rural Development.

The composition of the Samiti will be as follows :—

Chairman

1. Union Minister of Agriculture and Rural Development.

Vice-Chairman

2. Minister of State for Rural Development.

Members

3. Shri Manphool Singh, M.P.
4. Shri Ram Nagina Mishra, M.P.
5. Shri Anand Gautam, M.P.
6. Shri Prithvi Majhi, M.P.
7. Shri Chintamani Jena, M.P.
8. Shri Jamilur Rehman, M.P.
9. Shri Akshya Kumar Jain
10. Shri U. C. Aggarwal
11. Shri Kashinath Upadhyay 'Bhramar'
12. Dr. Kailash Chandra Bhatia
13. Shri Jai Prakash Bharati
14. Shri Jasdev Singh
15. Shri Durga Prasad Chaudhury
16. Dr. N. Raman Nair
17. Shri Mukul Chand Pandey
18. Dr. Ram Prasad Mishra
19. Shri Vijay Shankar Mall
20. Dr. Shyam Singh Shashi
21. Shri Sudhakar Pandey
22. Shri Saragu Krishan Murty
23. Shri Himanshu Joshi
24. Secretary, Department of Agriculture and Cooperation.
25. Secretary, Department of Agricultural Research and Education.
26. Secretary, Department of Rural Development.
27. Secretary, Department of Official Language.
28. Joint Secretary (Admn.), Department of Rural Development.
29. Joint Secretary (Finance), Department of Agri. & Coopn.
30. Joint Secretary (Admn.), Department of Agricultural Research and Education.
31. Joint Secretary, Department of Official Language.
32. Managing Director, National Seeds Corporation.
33. Managing Director, National Cooperative Development Corporation.
34. Managing Director, Indian Farmers Fertilisers Cooperative Limited.
35. Managing Director, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.

Member-Secretary

36. Joint Secretary (Admn.), Department of Agriculture & Cooperation.

Functions of the Samiti

The function of the Samiti is to render advice in regard to the implementation of policies laid down by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs relating to the use of Hindi for Official purposes and also in regard to the progressive use of Hindi in the Ministry of Agriculture and Rural Development.

Tenure

The term of the Samiti will be three years from the date of its constitution provided that :

(a) a member who is member of Parliament ceases to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a member of Parliament.

(b) Ex-Officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.

(c) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member appointed on that vacancy shall hold office for the residual period of the term of three years.

General

The Committee may adopt additional members and invite experts to attend its meetings as may be necessary from time to time.

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President Secretariat, Vice-President Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Union Public Service Commission, Chief Pay and Accounts Officer, Ministry of Agriculture and Rural Development, All Departments of the Ministry of Agriculture and Rural Development and their attached/subordinate offices and undertakings etc. and all Ministries and Departments of the Govt. of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. S. RIZVI, Jt. Secy.

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(DEPTT. OF CIVIL SUPPLIES)

New Delhi, the 20th September 1985

No. WM-4(7)/84.—The Government of India have decided to constitute an Advisory Committee for advising the Government on all policy matters relating to the modernisation and development of legal metrology in the country. The Committee shall consist of the following :

Chairman

1. Secretary,
   Deparment of Civil Supplies.

Members

2. Joint Secretary,
   In-charge of Weights & Measures.
3. Shri S. K. Maitra,
4. Dr. K. Chandra,
   Dy. Director, NPL.
5. Shri D. Ajitha Simha,
   Dy. Director General,
   Indian Standard Institution.
6. Principal,
   Indian Institute of Legal Metrology,
   Ranchi.
7. Dy. Director,
   Regional Reference Standard Laboratory,
   Bhubaneswar.
8. Dy. Director,
   Regional Reference Standard Laboratory,
   Ahmedabad.
9. Dy. Director,
   Regional Reference Standard Laboratory,
   Bangalore.
10. Controllers of Weights & Measures,
    Govt. of Gujarat.
11. Secretary,
    Department of Agriculture,
    Govt. of Assam.
12. Principal Secretary to Govt.,
    Industries Commerce and Power Deptt.,
    Govt. of Andhra Pradesh.
13. Joint Director of Agriculture-cum-
    Controller of W&M,
    Govt. of Bihar.
14. Director of Industries,
    Department of Industries,
    Govt. of Haryana,
    Chandigarh.
15. Shri P. R. Chandran,
    Director,
    Department of Industrial Development,
    New Delhi
16. Dr. R. G. Kumble,
    Director,
    Department of Science and Technology.
17. Dr. R. P. Wadhwa,
    Secretary,
    Electronic Commission & Director (STQC).
18. Shri B. Garudachar,
    Industrial Advisor,
    Office of the Director General of
    Technical Development.

Member-Secretary

19. Director of Weights and Measures,
    New Delhi

II. *TENURE*

The term of the Advisory Committee will be initially for a period of one year from the date of the its composition provided that :

(a) Ex-Officio members of the Committee shall continue as members as long as they held office by virtue of which they have been nominated as Members of the Committee; and

(b) If a vacancy arises in the Committee due to resignation, death etc. of a Member another member appointed in that capacity shall hold office for the resudual term.

III. *GENERAL*

The Advisory Committee shall meet at least once in six months and will advise the Govt. on matters having a bearing on the modernisation and development of legal metrology (weights and measures) in India.

The Advisory Committee will also examine the various International Recommendation recommended by the International Organisation of Legal Metrology (OIML) and the recommendations of the Sectional Committee of the Indian Standard Institution (ISI), for adoption as technical regulations. The Committee will also advise the Govt. on the ways and means for strengthening co-operation among the developing countries particularly NAM countries, participating in the technical work of the OIML.

B. K. SINHA, Jt. Secty.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 17th September 1985

RESOLUTION

No. E-11015|4|84-Hindi.—In continuation of the Ministry of Works and Housing Resolution of even number dated the 11th July, 1985 and 26th August, 1985, the Government of India has decided to nominate to Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Works and Housing the following member of the Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad :—

President Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad,

XY-68, Sarojini Nagar,

New Delhi-110023

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries|Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. M. GUPTA, Dy. Secy.
and
Member-Secretary, Hindi Salahakar Samiti

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985